

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 290248

पटना,

दिनांक- 08/11/2016

ग्रा0वि0-05/आधार (RFQ)-14-09/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी ,  
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार ।

विषय :- आधार परियोजना अंतर्गत स्थायी आधार पंजीकरण (PEC) की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक आरंभिक तैयारियाँ करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा राज्य में 1000 (एक हजार) स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्रों (PEC) की स्थापना हेतु पंजीकरण एजेंसियों (EAs) का निविदा आधारित चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । इस संबंध में शीघ्र ही कार्यादेश निर्गत किया जाएगा । आधार पंजीकरण केन्द्रों की स्थापना राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों, सभी शहरी नगर निकायों के मुख्यालयों, सभी अनुमंडल मुख्यालयों, जिला मुख्यालय तथा जिला अवस्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों पर की जानी है । उक्त केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन हेतु निम्नलिखित आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली जाय :-

1. RTPS काउंटरों के साथ ही सभी प्रखंडों एवं सभी अनुमंडलों में इसके लिए स्थल चिन्हित कर लिया जाय ।
2. सभी शहरी नगर निकायों पर भी स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्रों (PEC) हेतु स्थल चिन्हित कर लिया जाय ।
3. जिला एवं DRCC केन्द्रों पर स्थल चिन्हित कर लिया जाय ।
4. स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्रों (PEC) पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना। (यदि कहीं पर विद्युत की उपलब्धता में कठिनाई हो तो जेनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाय)
5. पंजीकरण एजेंसियों के द्वारा लगाये गये पंजीकरण किटों की सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्था करना।
6. बड़े प्रखंडों में यदि आवश्यकता हो तो आकलन के आधार पर दो स्थायी पंजीकरण केन्द्र (PEC) की स्थापना का प्रस्ताव भेजा जा सकता है । इसके लिए भी स्थल चिन्हित कर लिया जाय।


उपरोक्त स्थलों के अलावा भी यदि कहीं पर आवश्यक हो तो स्थल का चुनाव कर विभाग को प्रतिवेदित करें ।

उक्त केन्द्रों पर नया आधार पंजीकरण एवं आधार अपडेशन आदि का कार्य किया जाएगा। आधार पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क है तथा आधार अपडेशन हेतु UIDAI (भारत सरकार) द्वारा निर्धारित दरें निम्नवत् हैं :-

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. बायोमैट्रीक/ डेमोग्राफीक अपडेशन | -15 रुपये प्रति आधार। |
| 2. ई-आधार                          | -10 रुपये प्रति आधार। |
| 3. EID पता करना                    | -10 रुपये प्रति आधार। |
| 4. मोबाईल, ईमेल, कनसेन्ट अपडेशन    | -05 रुपये प्रति आधार। |
| 5. PVC आधार कार्ड                  | -25 रुपये प्रति आधार। |
| 6. बेस्ट फींगर डिटेक्ट             | -05 रुपये प्रति आधार। |

अतः अनुरोध है कि स्थायी आधार पंजीकरण (PEC) की स्थापना एवं संचालन हेतु उपरोक्त आवश्यक तैयारियाँ करते हुये, इसकी सूचना यथा शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय। इसे विभागीय ई-मेल- [rlrsec-bih@nic.in](mailto:rlrsec-bih@nic.in) एवं [bihar.rdd@uidai.net.in](mailto:bihar.rdd@uidai.net.in) पर भी मेल कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन


  
(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव।

जापांक- 290248 -----

पटना, दिनांक- 08/11/2016 -----

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव।

जापांक- 290248 -----

पटना, दिनांक- 08/11/2016 -----


प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सचिव।

जापांक- 290248 -----

पटना, दिनांक- 08/11/2016 -----

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सचिव।

जापांक- 290248 -----

पटना, दिनांक- 08/11/2016 -----

प्रतिलिपि:- मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सचिव।